



Neutral Citation No. – 2026:AHC:169717–DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 30677/2026

गीता देवी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राहुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या– 1

माननीय न्यायमूर्ति अजित कुमार

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका के ज़रिए, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की है;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



I-प्रतिवादी संख्या-2 (जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज) द्वारा दिनांक 31/03/2026 (संलग्नक-1) को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिससे याचिकाकर्ता को न्याय प्राप्त हो सके।

II- परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो प्रतिवादी संख्या 2 को 28.02.2020 के शासनादेश के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये प्रदान करने का निर्देश दे।

3. याची द्वारा अपने पति कैलाश की आकस्मिक मृत्यु के आधार पर 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा गया है) के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए किए गए दावे को, दिनांक 31.03.2026 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि मृत व्यक्ति एक कृषक नहीं था।

4. संक्षेप में कहें तो, याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 23.11.2025 को एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने योजना के तहत तय समय-सीमा के भीतर, ज़रूरी दस्तावेजों के साथ तय फॉर्मेट में योजना के तहत दावा पेश किया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि क्षेत्र के लेखपाल ने एक त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मृतक कृषक नहीं था बल्कि एक श्रमिक के रूप में कार्यरत था। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त रिपोर्ट इसलिए प्रस्तुत की गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने लेखपाल की अवैध मांग को स्वीकार नहीं किया था।

6. यह निवेदन किया जाता है कि प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई थी जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि मृतक अपने पिता की भूमि पर कृषि कार्यों में संलग्न था। यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम अलावरपुर, तहसील

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हंडिया, जिला प्रयागराज में स्थित प्लॉट संख्या 198M, क्षेत्रफल 0.0230 हेक्टेयर, मृतक के पिता नंद लाल पुत्र स्वर्गीय मोती लाल के नाम दर्ज है।

7. मृतक के पिता ने एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनका पुत्र कृषि कार्य में संलग्न था और अलावरपुर में स्थित अपनी भूमिधारी भूमि की देखभाल करता था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अपनी बीमारी के कारण वे स्वयं कृषि कार्य करने में असमर्थ थे और उन्हें याचिकाकर्ता को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उक्त शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 28.02.2020 के शासनादेश पर भरोसा जताते हुए प्रस्तुत किया है कि इस योजना के अंतर्गत "किसान" की परिभाषा केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जिसके स्वयं के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है, बल्कि यह उन व्यक्तियों तक भी विस्तृत है जिनकी मुख्य आजीविका परिवार की स्वामित्व वाली भूमि या पट्टे पर ली गई भूमि पर किए जाने वाले कृषि कार्य से प्राप्त होती है।

9. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पति की आकस्मिक मृत्यु पर कोई विवाद नहीं है। दुर्घटना के संबंध में 24.11.2025 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। मृत्यु से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

10. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि लेखपाल ने जांच करने पर यह रिपोर्ट दी कि मृतक के नाम पर कोई भूमि नहीं थी और वह कृषि कार्यों में संलग्न नहीं था। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया और एक तर्कसंगत आदेश द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है। मुख्य विवाद यह है कि क्या याची के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता था कि जिस कृषि भूमि पर मृतक के कार्यरत होने का कथन है, वह उसके पिता के नाम दर्ज थी न कि मृतक के स्वयं के नाम पर।

12. यह मुद्दा अब विचाराधीन या अनसुलझा नहीं रह गया है। **राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिट-सी संख्या 1006 सन 2024**, दिनांक 16.03.2026 को निर्णित, में इस न्यायालय ने एक समान प्रश्न पर विचार किया और यह माना कि योजना के अंतर्गत किसी दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कृषि भूमि परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के नाम पर दर्ज है। **गायत्री देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन ऑल 8086**, पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया:

“17. दिनांक 28.02.2020 के शासनादेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' का उद्देश्य दुर्घटना में मृत किसानों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यह अनिवार्य नहीं है कि कृषि भूमि केवल मृतक किसान के नाम पर ही दर्ज हो। जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या मृतक मुख्य रूप से खेती-बाड़ी के काम में लगा हुआ था और क्या खेती ही उसके और उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी। ग्रामीण इलाकों में यह आम बात है कि ज़मीन परिवार के सबसे बड़े सदस्य के नाम पर दर्ज रहती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य मिलकर खेती का काम करते हैं...”

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत को लागू करते हुए कि फ़ायदेमंद और कल्याणकारी योजनाओं की व्याख्या उदार और उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए ताकि उनके मकसद को आगे बढ़ाया जा सके, न कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तकनीकी आधार पर उसे विफल किया जाए, याचिकाकर्ता के दावे को हल्के-फुल्के ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता था। क्योंकि गाइडलाइंस को सरसरी तौर पर देखने से ही यह साफ़ हो जाता है कि यह योजना उन लोगों और परिवारों की सुरक्षा के लिए है जो खेती-बाड़ी के कामों में लगे हैं और जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। ...”

13. उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूर्णतः लागू होता है। केवल इस तथ्य से कि कृषि भूमि मृतक के पिता के नाम दर्ज थी, यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता कि मृतक योजना के अर्थ में किसान नहीं था। यह जांचना आवश्यक था कि क्या मृतक वास्तव में कृषि गतिविधियों में संलग्न था और क्या वह योजना की आवश्यकताओं को पूरा करता था।

14. इस मामले में, याचिकाकर्ता ने अथॉरिटी के सामने ऐसे सबूत पेश किए थे जिनसे पता चलता था कि मृतक अपने पिता, नंद लाल के नाम पर दर्ज ज़मीन पर खेती-बाड़ी का काम करता था। इस मामले में नंद लाल का हलफनामा भी अहम था। जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें इन सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया गया है और यह आदेश मुख्य रूप से लेखपाल की रिपोर्ट पर आधारित है। इसलिए, इस दावे पर स्कीम में दी गई परिभाषा और इस कोर्ट द्वारा राजेश कुमार (उपरोक्त) और गायत्री देवी (उपरोक्त) के मामलों में तय किए गए कानून के आधार पर विचार किया जाना जरूरी था।

15. तदनुसार, रिट याचिका मंजूर की जाती है। ज़िला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा दिनांक 31.03.2026 को पारित आक्षेपित आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मामले को ज़िला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे योजना के अनुरूप तथा उपर्युक्त प्रेक्षणों के प्रकाश में याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से विचार करें। यह कार्रवाई यथाशीघ्र, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः दो मास की अवधि के भीतर, पूरी की जाए।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

(न्यायमूर्ति अजित कुमार)

12 अगस्त 2026

सचिन मिश्रा

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”